

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

विजय सिंह आदि बनाम सरोज आदि

दावा बाबत :- 8827112

मुकदमा नम्बर :- 383/2021

निर्णय दिनांक :- 17.12.2021

वादी की ओर से वकील वीरेंद्र कुमार की व प्रतिवादी सं० 11125 की ओर से वकील राजेश कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.12.2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि सरोज आदि के खाता संख्या 210/221 के खाते सं० 252 630/1 कुल 29.41.20 को वास्तवी खातेदार कृष्ण मूर्ति के भवरसिंह के नाम 2233/29412 दिस्सा राजेश रिकार्ड में दर्ज है उक्त वकिल वादमूर्ति में ही भवरसिंह का नाम कलमपत्र किया जाकर वादी सं० विजयसिंह को 1/2 हिस्सा व वादीया सं० 2 किरण को 1/2 हिस्सा के खातेदार का अधिकार घोषित किया जाते हैं मूल प्रतिवादी सं० 1 ता 5 में उक्त वादमूर्ति में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी सं० 1 व 2 के पक्ष में वादमूर्ति कर मुन्स कर लिया है इसलिए त्याग किया जाये जो हिस्से पर पंजाब विभाग को देय पंजाब मुन्स दिया करण व यदि मुन्स व के रखे हो तो रखभुक्त होने के उपरान्त ही राजेश रिकार्ड में अन्तल हुआ किता जावे/ रादीगार्ड को डिक्री का ताग देा जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
 यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
 R.A.S.
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
 भादरा, जिला हनुमानगढ़ द्वारा
 प्र.गा. के संग अ-2021
 कैम्प जगदीश